भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 5450

जिसका उत्तर 03 अप्रैल, 2025 को दिया जाना है।

.....

भूजल स्तर में गिरावट का संकट

5450. श्री सुखदेव भगतः

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केंद्रीय भूजल बोर्ड की वर्ष 2023 की रिपोर्ट में यह संकेत दिया गया है कि भारत के 755 जिलों में से 256 में भूजल का अत्यधिक दोहन या भूजल स्तर में गिरावट की गंभीर समस्या उतपन्न हो रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है:

(ख) क्या नीति आयोग के समग्र जल प्रबंधन सूचकांक (सीडब्ल्यूएमआई) में चेतावनी दी गई है कि वर्ष 2030 तक भारत की 40 प्रतिशत आबादी के पास पीने का पानी उपलब्ध नहीं होगा और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा उक्त मुद्दे को हल करने के लिए क्या कदम उठाए गए उठाए जा रहे हैं;

(ग) सरकार की अटल भूजल योजना के कार्यान्वयन के बावजूद भूजल स्तर में गिरावट को प्रभावी ढंग से रोकने में विफलता के क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार यह स्वीकार करती है कि ग्रामीण पेयजल आपूर्ति का 85 प्रतिशत भूजल पर निर्भर करता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी सततता सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं/कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ङ) क्या सरकार का स्वैच्छिक अनुपालन के बजाय भूजल निष्कर्षण के संबंध में सख्त नियम लागू करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री श्री राज भूषण चौधरी

(क): केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) द्वारा तैयार की गई सक्रिय भूमि जल संसाधन आकलन-2023 रिपोर्ट में देश के 705 जिलों का आकलन किया गया है जिनमें से 24 जिले 'गंभीर' श्रेणी और 98 जिले 'अतिदोहित' श्रेणी के अंतर्गत थे। इन जिलों का विवरण **अनुलग्नक** में दिया गया है।

(ख): पेयजल राज्य का विषय है। हालांकि, भारत सरकार द्वारा अगस्त 2019 से जल जीवन मिशन (जेजेएम) का कार्यान्वयन किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य देश के सभी ग्रामीण परिवारों को पर्याप्त मात्रा में, निर्धारित गुणवत्ता और नियमित एवं दीर्घकालिक आधार पर सुरक्षित और नल से पेय जल की आपूर्ति करना है। राज्य / संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 20.03.2025 तक देश के 19.36 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से लगभग 15.53 करोड़ (80.22%) परिवारों को नल से जल की आपूर्ति के माध्यम से सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराया गया है।

शहरी क्षेत्रों के संदर्भ में, दिनांक 01 अक्टूबर 2021 से सभी शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) / शहरों में अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) 2.0 योजना आरंभ की गई है जिसका उद्देश्य उन्हें 'आत्मनिर्भर' और 'जल सुरक्षित' बनाना है। स्वच्छ जल की आपूर्ति भी अमृत 2.0 के उद्देश्यों में एक है और अब तक, विभिन्न शहरों को शामिल करते हुए देश भर में 3,587 जल आपूर्ति परियोजनाओं को अनुमोदित किया गया है।

(ग): उपलब्ध आंकड़ों से यह ज्ञात होता है कि जल की कमी वाले कुछ क्षेत्रों के अतिरिक्त पिछले कुछ वर्षों के दौरान देश में भूजल स्थिति में समग्र रूप से सुधार हुआ है। वर्ष 2017 से 2024 की अवधि के दौरान, देश में वार्षिक भूजल पुनर्भरण 436.15 बिलियन घन मीटर (बीसीएम) से बढ़कर 446.90 बीसीएम हो गया है, जबकि सभी उद्देश्यों के लिए कुल वार्षिक भूजल निष्कर्षण 244.92 बीसीएम से 245.64 बीसीएम के मध्य स्थिर रहा है। इसके अतिरिक्त, भूमि जल निष्कर्षण (एसओई) का चरण जिसे कुल वार्षिक भूजल निष्कर्षण और कुल वार्षिक निष्कर्षण योग्य भूमि जल के अनुपात के रूप में परिभाषित किया गया है, 61.6% से घटकर 60.47% हो गया है। इससे भूजल की कमी वाले क्षेत्रों की संख्या में गिरावट का पता चलता है।

इसके अतिरिक्त भूजल स्तर की गिरावट को रोकना अटल भूजल योजना के तहत एक महत्वपूर्ण कार्य है। हाल ही में किए गए आकलन के अनुसार, वर्ष 2024 में 1,333 अटल जल ग्राम पंचायतों और 61 ब्लॉकों के भूजल स्तर में संवर्धन हुआ है।

(घ): स्रोत की स्थायित्वता जल शक्ति मंत्रालय द्वारा शुरू की गई स्कीमों और परियोजनाओं का एक महत्वपूर्ण फोकस क्षेत्र है। भूजल प्रबंधन और विनियमन योजना, अटल भूजल योजना, जल शक्ति अभियान आदि जैसी योजनाएं भूजल स्रोतों की स्थिरता सुनिश्चित करने का प्रयास करती हैं। इनमें विशेष रूप से पेय उद्देश्यों वाले जल स्रोतों पर बल दिया गया है। जलभृत क्षमता को बढ़ाने और उनकी स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए इन योजनाओं के तहत वर्षा जल संचयन और कृत्रिम पुनर्भरण संरचनाओं के निर्माण जैसे उपाय किए जाते हैं, जिनमें तालाब, चेक बांध, पुनर्भरण शाफ्ट, छत पर वर्षा जल संचयन संरचनाएं आदि शामिल हैं।

इसके अतिरिक्त विश्वसनीय पेयजल स्रोतों का विकास और/अथवा गांवों में जल आपूर्ति प्रणाली की दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा स्रोतों का संवर्धन जल जीवन

मिशन का एक अभिन्न अंग है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जेजेएम के कार्यान्वयन हेतु परिचालन दिशानिर्देशों में यह निर्धारित किया गया है कि संबंधित राज्य सरकार की सोर्स फाइन्डिंग कमिटी की सिफारिश के बाद ही जेजेएम के तहत किसी भी जल आपूर्ति योजना को शुरू किया जाना चाहिए। इससे यह सुनिश्चित होता है कि चिह्नित जल स्त्रोत, जिसके माध्यम से स्कीम की योजना बनाई गई है, में स्कीम डिजाइन अवधि के लिए अपेक्षित मानदण्ड के अनुसार जल आपूर्ति बनाए रखने की क्षमता है। इसके अतिरिक्त, पेयजल स्रोतों का सुदृढ़ीकरण अन्य स्कीमों जैसे मनरेगा, ग्रामीण स्थानीय निकायों/पंचायती राज संस्थाओं को वित्त आयोग अनुदान, सांसद एवं विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास निधि, जिला खनिज विकास निधि, सीएसआर निधि आदि के सम्मिलन से भी किया जाता है।

(ङ): जल राज्य का विषय है और भूजल निष्कर्षण के विनियमन का दायित्व मुख्यतः राज्य सरकारों का है। हालांकि, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा केंद्रीय भूमि जल प्राधिकरण (सीजीडब्ल्यूए) का गठन किया गया है जो दिनांक 24.09.2020 के दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुसार भूजल के निकासी सह उपयोग को नियंत्रित करता है, जिसकी अखिल भारतीय प्रयोज्यता है। इन दिशा-निर्देशों में वैध अनापत्ति प्रमाण-पत्र के बिना भूजल की निकासी के लिए पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति (ईसी) प्रभार लगाने, अनापत्ति प्रमाण-पत्र शर्तों का अनुपालन न करने पर दंड, अनधिकृत भूजल निकासी संरचनाओं को सील करने आदि जैसे कड़े उपायों का प्रावधान शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकारों को यह स्वतंत्रता दी गई है कि वे अपने अधिकार क्षेत्र में आवश्यकतानुसार और अधिक कड़े उपाय लागू कर सकती हैं।

*****

अनुलग्नक

"भूजल स्तर में गिरावट का संकट" के संबंध में दिनांक 03.04.2025 को लोक सभा में उत्तर दिए जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 5450 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

देश में गंभीर और अतिदोहित जिलों का विवरण
(भूजल संसाधन आकलन-2023 के अनुसार)

क्रम संख्या	राज्य / संघ राज्य क्षेत्र का नाम	जिले का नाम	वर्गीकरण गंभीर / अति-दोहित (ओई)
1	छत्तीसगढ	बेमेतरा	गंभीर
2	गुजरात	गांधीनगर	गंभीर
3	गुजरात	पाटन	गंभीर
4	गुजरात	महेसाणा	
5	गुजरात	बनासकांठा	अतिदोहित
6	हरियाणा	पलवल	गंभीर
7	हरियाणा	सोनीपत	अतिदोहित
8	हरियाणा	जींद	अतिदोहित
9	हरियाणा	भिवानी	अतिदोहित
10	हरियाणा	अम्बाला	अतिदोहित
11	हरियाणा	चरखी दादरी	अतिदोहित
12	हरियाणा	रेवाड़ी	अतिदोहित
13	हरियाणा	यमुनानगर	अतिदोहित
14	हरियाणा	महेंद्रगढ़	अतिदोहित
15	हरियाणा	सिरसा	अतिदोहित
16	हरियाणा	करनाल	अतिदोहित
17	हरियाणा	फतेहाबाद	अतिदोहित
18	हरियाणा	कैथल	अतिदोहित
19	हरियाणा	पानीपत	अतिदोहित
20	हरियाणा	फरीदाबाद	अतिदोहित
21	हरियाणा	गुडगाँव	अतिदोहित
22	हरियाणा	कुरूक्षेत्र	अतिदोहित
23	कर्नाटक	तुमकुरु	गंभीर
24	कर्नाटक	रामानगर	गंभीर
25	कर्नाटक	चामराजनगर	गंभीर
26	कर्नाटक	चित्रदुर्ग	अतिदोहित
27	कर्नाटक	बेंगलुरु (शहरी)	अतिदोहित
28	कर्नाटक	चिक्कबल्लपुर	अतिदोहित
29	कर्नाटक	बेंगलुरु (ग्रामीण)	अतिदोहित
30	कर्नाटक	कोलारा	अतिदोहित
31	मध्य प्रदेश	नीमच	गंभीर

32	मध्य प्रदेश	मन्दसौर	अतिदोहित
33	मध्य प्रदेश	शाजापुर	अतिदोहित
34	मध्य प्रदेश	उज्जैन	अतिदोहित
35	मध्य प्रदेश	इंदौर	अतिदोहित
36	मध्य प्रदेश	रतलाम	अतिदोहित
37	महाराष्ट्र	अमरावती	गंभीर
38	पंजाब	रूपनगर	गंभीर
39	पंजाब	मानसा	गंभीर
40	पंजाब	बठिंडा	अतिदोहित
41	पंजाब	होशियारपुर	अतिदोहित
42	पंजाब	एसबीएस नगर	अतिदोहित
43	पंजाब	फरीदकोट	अतिदोहित
44	पंजाब	सासनगर	अतिदोहित
45	पंजाब	फिरोजपुर	अतिदोहित
46	पंजाब	गुरदासपुर	अतिदोहित
47	पंजाब	अमृतसर	अतिदोहित
48	पंजाब	तरनतारन	अतिदोहित
49	पंजाब	पटियाला	अतिदोहित
50	पंजाब	फतेहगढ़ साहिब	अतिदोहित
51	पंजाब	लुधियाना	अतिदोहित
52	पंजाब	बरनाला	अतिदोहित
53	पंजाब	मोगा	अतिदोहित
54	पंजाब	कपूरथला	अतिदोहित
55	पंजाब	जालंधर	अतिदोहित
56	पंजाब	मलेरकोटला	अतिदोहित
57	पंजाब	संगरूर	अतिदोहित
58	राजस्थान	टोंक	अतिदोहित
59	राजस्थान	बूंदी	अतिदोहित
60	राजस्थान	उदयपुर	अतिदोहित
61	राजस्थान	कोटा	अतिदोहित
62	राजस्थान	झालावाड़	अतिदोहित
63	राजस्थान	सिरोही	अतिदोहित
64	राजस्थान	भरतपुर	अतिदोहित
65	राजस्थान	राजसमंद	अतिदोहित
66	राजस्थान	चुरू	अतिदोहित
67	राजस्थान	प्रतापगढ़	अतिदोहित
68	राजस्थान	बारां	अतिदोहित
69	राजस्थान	बाड़मेर	अतिदोहित
70	राजस्थान	धौलपुर	अतिदोहित
71	राजस्थान	बीकानेर	अतिदोहित

72	राजस्थान	अजमेर	अतिदोहित
73	राजस्थान	चितौड़गढ़	अतिदोहित
74	राजस्थान	करौली	अतिदोहित
75	राजस्थान	पाली	अतिदोहित
76	राजस्थान	सवाई माधोपुर	अतिदोहित
77	राजस्थान	भीलवाड़ा	अतिदोहित
78	राजस्थान	जालोर	अतिदोहित
79	राजस्थान	नागौर	अतिदोहित
80	राजस्थान	अलवर	अतिदोहित
81	राजस्थान	सीकर	अतिदोहित
82	राजस्थान	झुंझुनूं	अतिदोहित
83	राजस्थान	जयपुर	अतिदोहित
84	राजस्थान	दौसा	अतिदोहित
85	राजस्थान	जोधपुर	अतिदोहित
86	राजस्थान	जैसलमेर	अतिदोहित
87	तमिलनाडु	धर्मपुरी	गंभीर
88	तमिलनाडु	करूर	गंभीर
89	तमिलनाडु	तंजावुर	अतिदोहित
90	तमिलनाडु	पेरम्बलुर	अतिदोहित
91	तमिलनाडु	वेल्लोर	अतिदोहित
92	तमिलनाडु	डिंडीगुल	अतिदोहित
93	तमिलनाडु	नमक्कल	अतिदोहित
94	तमिलनाडु	चेन्नई	अतिदोहित
95	तमिलनाडु	सलेम	अतिदोहित
96	तमिलनाडु	माइलादुत्रयी	अतिदोहित
97	तमिलनाडु	तिरुपथुर	अतिदोहित
98	तेलंगाना	हैदराबाद	गंभीर
99	उत्तर प्रदेश	महोबा	गंभीर
100	उत्तर प्रदेश	अमरोहा	गंभीर
101	उत्तर प्रदेश	हाथरस	गंभीर
102	उत्तर प्रदेश	बुलन्दशहर	गंभीर
103	उत्तर प्रदेश	बागपत	गंभीर
104	उत्तर प्रदेश	हापुड	गंभीर
105	उत्तर प्रदेश	सहारनपुर	अतिदोहित
106	उत्तर प्रदेश	शामली	अतिदोहित
107	उत्तर प्रदेश	फिरोजाबाद	अतिदोहित
108	उत्तर प्रदेश	जी.बी.नगर	अतिदोहित
109	उत्तर प्रदेश	आगरा	अतिदोहित
110	उत्तर प्रदेश	गाजियाबाद	अतिदोहित
111	दादर और नगर हवेली	दादरा नगर हवेली	अतिदोहित

	तथा दमन और दीव		
112	दादर और नगर हवेली तथा दमन और दीव	दमन	अतिदोहित
113	दादर और नगर हवेली तथा दमन और दीव	दीव	अतिदोहित
114	दिल्ली	दक्षिण पश्चिम	गंभीर
115	दिल्ली	पूर्व	गंभीर
116	दिल्ली	पश्चिम	गंभीर
117	दिल्ली	दक्षिण पूर्व	गंभीर
118	दिल्ली	उत्तर पूर्व	अतिदोहित
119	दिल्ली	उत्तर	अतिदोहित
120	दिल्ली	दक्षिण	अतिदोहित
121	दिल्ली	शाहदरा	अतिदोहित
122	दिल्ली	नई दिल्ली	अतिदोहित

***24 जिलों में भूजल निष्कर्षण (एसओई) का स्तर 90% से 100% (गंभीर) के मध्य है और 98 जिलों में भूजल निष्कर्षण (एसओई) का स्तर 100% से अधिक (अतिदोहित) है।**

*****